



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



कुलपति महोदय का संदेश

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2017–2019 की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. 2017 आयोजित करने का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। आदि गंगा–गोमती के पावन तट पर स्थित भगवान् श्री राम के अनुज, वीरवर लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनऊ अपनी गंगा–जमुनी तहज़ीब के लिए विश्व–विख्यात है। यहाँ के नवाबों की शान–मुग़लकालीन ऐतिहासिक इमारतें और बाग़ (भूल–भुलैया, इमामबाड़ा, रुमी दरवाजा, मकबरे, बारादरी इत्यादि) लखनऊ की पहचान बढ़ाते हैं। अम्बेडकर, लोहिया एवं जनेश्वर मिश्र पार्क आज पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र हैं। काकोरी, दिलकुशा, रेजीडेन्सी आदि स्थल 1857 की क्रांति के साक्षी हैं। मलिहाबादी आम, सफेदा एवं खरबूजे के साथ–साथ सामिष एवं निरामिष भोजन के लिए लखनऊ विख्यात है। सूरदास लखनवी से लेकर उपन्यासत्रयी – भगवती चरण वर्मा, यशपाल एवं श्री लाल शुक्ल तक की साहित्य परम्परा विद्यमान है। महाकवि निराला, अमृत लाल नागर, शिवानी, रमई काका, मजाज़ आदि कवियों ने अपनी कविताओं से यहाँ के साहित्यिक परिवेश को निखारा है। विख्यात मुद्रक गंगा पुस्तक माला, मुंशी नवल किशोर प्रेस ने आजादी से पूर्व के साहित्य को विश्व में उकेरा है।

ऐसी पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवम्बर 1920 को हुई। विश्वविद्यालय को उसकी अकादमिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शैक्षिक जगत में विशेष स्थान प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. बीरबल साहनी, प्रसिद्ध समाजशास्त्री आचार्य नरेन्द्रदेव, धुर्जटा प्रसाद मुखर्जी आदि ने यहाँ के शैक्षिक स्वरूप को गरिमा प्रदान की है। विख्यात हॉकी खिलाड़ी के.डी. सिंह 'बाबू', किकेटर–सुरेश रैना, आर. पी. सिंह, विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। वर्तमान में लखनऊ नगर में मेट्रो रेल का परिचालन शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है। गोमती रिवरफन्ट विकास परियोजना, मा. उच्च न्यायालय का नवीन भवन एवं आगरा एक्सप्रेस–वे आदि आधुनिकता के सशक्त प्रतीक हैं।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017 को शुचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय दृढ़ संकल्प है। अभ्यर्थियों की सुविधा एवं परीक्षा की पारदर्शिता हेतु बी.एड. प्रवेश सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु हमारी शुभकामनाएँ एवं मंगलकामनाएँ। साथ ही इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु कठिबद्ध, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं टीम को मेरी अनन्त शुभेच्छा,

सुरेन्द्र प्रताप सिंह
कुलपति



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रो. नवीन खरे

राज्य समन्वयक

संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017–19

उपाध्यक्ष, ACCTI,

समन्वयक, IGNOU

रसायन विज्ञान विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय



शुभकामना संदेश

हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017 का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को तीसरी बार सौंपा गया है। यह एक ओर, सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रति विश्वास को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को भी स्पष्टः परिभाषित करता है। इससे विश्वविद्यालय परिवार प्रफुल्लित एवं उत्साहित हुआ है। किन्तु यह दायित्व सुखद होने के साथ—साथ चुनौती पूर्ण भी है।

वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में अभ्यर्थियों के लिए परिस्थितियां जहाँ अनुकूल व सहज हुई हैं, वही अनेक कठिनाइयां भी उपस्थित हुई हैं। हम यथासंभव अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में निरन्तर प्रयासरत रहे हैं।

इस वर्ष हमने ऑनलाइन प्रक्रिया को और सहज बनाने का भरपूर प्रयत्न किया है। e-Challan, NEFT और Payment-gateway द्वारा शुल्क—संग्रहण को सरलतम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम दिनभर Helpline तथा e-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों की समस्याओं के निदान का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

इस वर्ष हमने आधार कार्ड संख्या को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु वांछनीय किया है। हम आशा करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है, वह अपना आधार कार्ड शीघ्रातिशीघ्र बनवाकर उसका नम्बर आवेदन में यथास्थान भरें।

संभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ कठिनाई हो, किन्तु वैशिक विकास में तकनीकी के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रक्रिया उनके लिए अनुभव—प्रदाता सिद्ध होगी। हम दृढ़ संकल्प हैं कि अभ्यर्थियों को अधिकतम सुविधा प्रदान करते हुए, प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता, सुचिता, सहजता व गोपनीयता के साथ संपन्न हो। मैं समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य एवं सफलता की शुभ मंगल कामना करता हूँ।

प्रो. नवीन खरे
राज्य समन्वयक



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



अनुक्रम

पृष्ठ संख्या

1. शैक्षिक अर्हता	4
2. महत्वपूर्ण तिथियाँ	5
3. महत्वपूर्ण निर्देश	6
4. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया	7–8
5. ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश	9–11
6. आरक्षण	12–13
7. प्रवेश / काउन्सिलिंग	14–15
8. प्रवेश परीक्षा प्रारूप	16
9. परिशिष्ट – 1 अतिरिक्त अंक	17–19
10. परिशिष्ट – 2 विश्वविद्यालय का नाम	20
11. परिशिष्ट – 3 प्रस्तावित शहरों की सूची जहाँ परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है	21
12. परिशिष्ट – 4 प्रस्तावित काउन्सिलिंग केन्द्रों की सूची	22
13. प्रमाण पत्रों के प्रारूप	23–33
सम्पर्क सूत्र	34



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



शैक्षिक अर्हता

बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है

1. ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2017 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह नहीं होंगे। (**माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अन्तर्रिम आदेश (याचिका 12054 of 2017) द्वारा अगली सुनवाई तक आस्थगित**)
2. कला/समाज विज्ञान एवं विज्ञान वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बी.ई. एवं बी.टेक. में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि उत्तीर्ण।
4. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर पाँच प्रतिशत छूट दी जायेगी।
5. सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है :-

न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों सहित सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2017 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

**Last Date for Registration, Fee Submission and Application Form
Submission is Extended till April 10, 2017**

पंजीकरण, परीक्षा शुल्क जमा करने, तथा सम्पूरित आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 10/04/2017
तक बढ़ा दी गई है

1	ऑन-लाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि	:	10/03/2017	बुधवार
2	ऑन-लाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि	:	10/04/2017	सोमवार
3	परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	:	10/04/2017	सोमवार
4	सम्पूरित आवेदन पत्र ऑन लाइन जमा (Submit) करने की तिथि	:	10/04/2017	सोमवार
5	प्रवेश परीक्षा की तिथि	:	03/05/2017	बुधवार
6	प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा परिणाम की तिथि	:	23/05/2017 से 26/05/2017 तक	मंगलवार शुक्रवार
7	प्रवेश काउंसिलिंग की संभावित तिथि	:	01/06/2017 से 28/06/2017 तक	गुरुवार बुधवार
8	शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	:	01/07/2017	शनिवार



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



महत्वपूर्ण निर्देश

- प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता सम्बन्धी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें जो <http://upbed.nic.in> वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) करने के उपरान्त प्रविष्टियों में संशोधन किसी भी दशा में संभव नहीं है।
- अर्हता हेतु किसी भी त्रुटि के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी तरह वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी।
- आवेदन पत्र अथवा कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर लखनऊ विश्वविद्यालय, भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को समस्त प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग तथा महाविद्यालय में प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- समस्त अभ्यर्थी भरे हुये ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
- आनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो (Front Face) 35mm x 45mm आकार में तथा हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ अधिकतम 50 KB तथा हस्ताक्षर अधिकतम 20 KB की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। साथ ही आनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट पर भी निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपने बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी बायें हाथ का अंगूठा लगाने में असमर्थ है तो केवल दायें हाथ का अंगूठे का प्रयोग करें। ऐसा न होने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
- प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर जनित 09 अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकरण संख्या है, जिसे बी.एड. प्रवेश हेतु भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पत्राचार निम्नांकित पते पर किया जायेगा:

राज्य समन्वयक

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय) 2017–2019

रसायन शास्त्र विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया

नोट – ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी सुविधा हेतु डमी फार्म (रिक्त आवेदन पत्र के प्रारूप पर <http://upbed.nic.in> वेबसाइट के 'आनलाइन रजिस्ट्रेशन' (Online Registration) लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत् तीन चरणों में सम्पन्न होगी:

- | | |
|-------------|--|
| प्रथम चरण | — ऑनलाइन पंजीकरण करना |
| द्वितीय चरण | — बैंक ऑफ बड़ोदा के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से अथवा ई-चालान द्वारा प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना। |
| तृतीय चरण | — आवेदन पत्र को पूर्ण करना एवं उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना। |

कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय) 2017–2019 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट <http://upbed.nic.in> पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें।

प्रथम चरण – पंजीकरण

1. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (Candidate Registration) लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहाँ-जहाँ (*) चिह्न लगा है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन में अपनी 12 अंकों की आधार संख्या को भरना है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है तो कृपया शीघ्र आधार पंजीकरण करा लें।
3. अपनी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात् सही जाँच कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
4. सफलतापूर्वक पंजीयन होने के साथ ही आपको कम्प्यूटरजनित नौ अंकों की पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को सावधानीपूर्वक लिख लें अथवा इस पृष्ठ का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया सम्पादित होगी।

नोट— प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से आपका बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता है। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र को पूर्ण करना है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



द्वितीय चरण – शुल्क भुगतान करना

1. सम्बन्धित वेबसाइट पर शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करें।
2. बैंक ऑफ बड़ोदा payment gateway की वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन (Internet Banking / Debit Card / Credit Card / NEFT / RTGS) अथवा ई-चालान द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा की किसी भी सी.बी.एस. शाखा में जाकर परीक्षा शुल्क जमा करें। यदि आपके क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ोदा की शाखा नहीं है तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा ई-चालान से भुगतान किया जा सकता है।
3. ई-चालान से भुगतान करने पर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक द्वारा दी गई ट्रांजेक्शन संख्या (**Transaction ID**) स्पष्ट रूप से पठनीय है। यही ट्रांजेक्शन संख्या (**Transaction ID**) आपके आवेदन पत्र को पूर्ण करने में आवश्यक होगी।
4. ऑन लाईन माध्यम से भुगतान करने पर एन0आई0सी0 द्वारा जारी Reference ID तथा बैंक द्वारा जारी Transaction ID को अपने पास सावधानीपूर्वक लिख कर सुरक्षित कर लें।

तृतीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना एवं उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना

1. शुल्क जमा करने के पश्चात् ‘आवेदन पत्र पूरित करें’ (Submit Application Form) लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिये अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, ट्रांजेक्शन संख्या (**Transaction ID**) एवं जन्मतिथि भरना होगा।
2. स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को भरने के बाद सबमिट (**Submit**) पर क्लिक करें।
3. आवेदन पत्र को सबमिट करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटोग्राफ (Camera Facing) jpg format में जो 50 KB से अधिक न हो तथा हस्ताक्षर jpg format जो 20 KB से अधिक न हो, अपलोड करें। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिये। गहरे रंग के चश्में के साथ खीची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।
4. अंतिम रूप से सबमिट (**Submit**) करने के पूर्व एक बार पुनः प्रविष्टियों को जांच कर सुनिश्चित हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (**Submit**) पर क्लिक करें। पूरित आवेदन पत्र का प्रिन्ट ए-4 आकार के कागज में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगायें एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश

(General Instructions for Online Application)

1. अभ्यर्थी का नाम (Name of Candidate)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। नाम के साथ श्री / श्रीमती / श्रीमान / कुमारी / सुश्री आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

2. पिता का नाम (Father's Name)

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार पिता का नाम भरा जाये।

3. लिंग (Gender)

पुरुष अभ्यर्थी, पुरुष (Male) के समुख विलक करें तथा महिला अभ्यर्थी महिला (Female) के समुख विलक करें। Transgender अभ्यर्थी अन्य (Others) पर विलक करें।

4. जन्मतिथि (Date of Birth)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। जन्मतिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होगा।

5. श्रेणी (Category)

अभ्यर्थी जिस श्रेणी का हो उसके समुख विलक करें।

अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी (OBC/ SC/ ST Category) के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारित प्रमाण पत्र धारित करता है तो अपने वर्ग के समुख विलक करें। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग पर विलक न करें बल्कि सामान्य के समुख विलक करें। अर्थात् अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

6. दृष्टिबाधित (Blind)

यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता है तो हाँ (Yes) के समुख विलक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एतदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाणित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में होना आवश्यक है।

7. वैवाहिक स्थिति (Marital Status)

अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिये हाँ/नहीं (Yes/No) का चयन करें।

8. स्नातक परीक्षा विवरण (Details of Graduation)

अभ्यर्थी स्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

9. परास्नातक परीक्षा विवरण (Details of Post Graduation)

अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



10. स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में संस्कृत विषयों की सूचना (Graduation with Sanskrit Subject)

अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष में संस्कृत विषय पढ़ा है तो हाँ (Yes) को चिकित्सा करें और यदि नहीं पढ़ा है तो नहीं (No) को चिकित्सा करें।

11. प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प (City Option for Entrance Exam.)

अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु तीन शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा (परिशिष्ट-3 देखें) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा।

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12. प्रथम प्रश्नपत्र (Paper-I)

प्रथम प्रश्नपत्र के खण्ड-ब में यदि हिन्दी भाषा के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हिन्दी का चयन करें। यदि अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो अंग्रेजी का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)

13. द्वितीय प्रश्नपत्र (Paper-II)

अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)

14. माता का नाम (Mother's Name)

जिस प्रकार क्रमांक –1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार माता का नाम भरा जाये।

15. धर्म (Religion)

अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में यह विकल्प भरने हेतु उपलब्ध सूची में से अपने धर्म के नाम के सम्मुख चिकित्सा करें।

16. उप-श्रेणी (Sub-Category)

यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रति रक्षा कर्मचारी आश्रित या विकलांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल रूप में काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of UP)

यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ (Yes) का चयन करें अन्यथा नहीं (No) का चयन करें। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी न होने की दशा में अभ्यर्थी का विवरण पुस्तिका में दिये गये प्रमाण पत्र – 11 के प्रारूप के अनुसार प्रवेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18. राष्ट्रीयता (Nationality)

अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता का चयन करें।

19. परिवार की कुल वार्षिक आय (Total Annual Income of the Family)

अभ्यर्थी अपने परिवार की कुल वार्षिक आय का उल्लेख करें।

20. फोटो व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Photograph & Signature of the Candidate)



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन कैमरा अभिमुख फोटोग्राफ (Camera Facing) jpg format में जो 50 KB से अधिक न हो तथा हस्ताक्षर jpg format जो 20 KB से अधिक न हो, अपलोड करें। उसी फोटो को आवेदन पत्र प्रिन्ट आउट लेने के पश्चात निर्धारित स्थान पर चिपकायें। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिये। गहरे रंग के चश्मे के साथ खीची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेने के पश्चात वही हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर करें।

21. पत्र व्यवहार का पूरा पता (Complete Postal Address)

पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का सम्पूर्ण पता भरें।

22. पिन कोड (Pin Code)

अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिये गये पते से सम्बन्धित पिन कोड नम्बर को भरें।

23. फोन नम्बर एस.टी.डी. कोड सहित (Telephone No. with STD Code)

अभ्यर्थी अपने फोन नम्बर को एस.टी.डी. कोड के साथ भरेंगे। उदाहरण के लिये लखनऊ के किसी अभ्यर्थी के द्वारा फोन नम्बर निम्न प्रकार भरा जायेगा –

0522 2320496

24. मोबाइल नम्बर (Mobile Number)

अभ्यर्थी अपना 10 अंको का मोबाइल नम्बर भरें।

25. अर्हता परीक्षा का विश्वविद्यालय (University of Qualifying Exam.)

अभ्यर्थी बी.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जिस विश्वविद्यालय की उपाधि (स्नातक / परास्नातक) से अर्हता धारण करते हों, उस विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश में स्थित होने/न होने (Yes/No) का चयन करें।

26. अतिरिक्त अंको हेतु मांग (Weightage Claimed)

- अ) अभ्यर्थी भारांक की अर्हता के लिये परिशिष्ट संख्या 1 को सावधानी पूर्वक देखें।
- ब) उसके अनुसार परिशिष्ट 1 में श्रेणी ए से एफ तक के नीचे उस कोड के अंतर्गत मांगे गये भारांक को भरें तथा सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें।

27. आधार नम्बर (Aadhar Number)

अभ्यर्थी अपना 12 अंको का आधार नम्बर भरें। जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है, वह अपना आधार कार्ड शीघ्रताशीघ्र बनवाकर उसका नम्बर आवेदन में यथास्थान भरें।

28. घोषणा (Declaration)

अभ्यर्थी घोषणाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करें।

नोट— ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट पर निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वही फोटोग्राफ लगायें जिसे उन्होंने अपलोड किया है तथा निर्धारित स्थान पर उसी तरह अपना हस्ताक्षर करेंगे जिस तरह का हस्ताक्षर उन्होंने अपलोड किया है। साथ ही साथ यथास्थान पिता/संरक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है तथा निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपने बांये हाथ के अंगूठे का निशान/बांये हाथ का अंगूठा न होने पर केवल दायें हाथ के अंगूठे का निशान लगायें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



आरक्षण

- A) ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) :** बी.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में)प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना / शासनादेश के अनुसार देय होगा।
- B) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) :** शारीरिक रूप से विकलांग / दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत आरक्षण (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता) देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ0 प्र0 के सेवानिवृत्त अथवा अपांग रक्षा कर्मियों अथवा उ0 प्र0 में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों के अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

नोट :-

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।
 2. यदि उक्त कम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्ति को भरने के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।
 3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
 4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।
- C) नेत्रहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (Writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है।** प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इनके समकक्ष से अधिक न हो।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



- D) अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- E) केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के पति के नाम पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रवेश / काउन्सिलिंग

1. काउन्सिलिंग प्रक्रिया लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आयोजक विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2017–2019 द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर ही होगी।
2. प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों के शहरों की सूची परिशिष्ट–3, एवं प्रस्तावित काउन्सिलिंग केन्द्रों की सूची परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध है।
3. किसी भी महाविद्यालय की सम्बद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में अथवा अनुमन्य अस्थायी सम्बद्धता का विस्तारण न हो पाने की स्थिति में ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस हेतु आवेदक अथवा संबन्धित महाविद्यालय का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। बी.एड. महाविद्यालयों की मुद्रित सूची काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को निर्धारित केन्द्रों पर दी जायेगी।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में ऐसे स्थानों की पूर्ति ३० प्र० सरकार के शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।
5. प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी आवंटित संस्था में प्रवेश से पूर्व, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि वह चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिससे बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सूचना हो अथवा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपाधिक कार्यवाही लंबित हो अथवा यदि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निष्कासित किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी का योग्यता सूची में नाम होते हुये भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित प्राचार्य का होगा, किन्तु इसके लिये सम्बन्धित प्राचार्य को लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त अभ्यर्थी को प्रवेश देने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राचार्य अस्वीकार कर देंगे तथा उसकी सूचना समन्वयक, राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय) 2017–2019 को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।
7. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की जाँच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश देंगे।
8. किसी अभ्यर्थी को अन्तिम रूप में प्रवेश से अस्वीकार करने के लिये सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा, उसकी सूचना समन्वयक, राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय) 2017–2019 को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



समान अंक पाने की स्थिति में मेरिट सूची तैयार करने के नियम

1. यदि प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध या सहयुक्त या उसी विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि उपर्युक्त के उपरान्त भी समान अंक आते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
2. आयोजक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

प्रवेश पत्र की प्रति

अभ्यर्थी को राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय)–2017 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के सात दिन पूर्व राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय)–2017 की वेबसाइट <https://upbed.nic.in> पर लॉगिन कर अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र को दो एक जैसी प्रतियों में लाना है व एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय को देनी है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) की प्रक्रिया यथावत् रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के दो अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के एक तिहाई अंक काटे जायेंगे।

प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे।

प्रश्नपत्र –प्रथम

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	50	100	200	3 घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई भी)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा। इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक –पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिये प्रश्न हल करने होंगे।

प्रश्नपत्र –द्वितीय

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	समान्य अभिरुचि परीक्षण (General Aptitude Test)	50	100	200	3 घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि) होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में आनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिषिष्ट-1

अधिभार अंको से सम्बन्धित प्रावधान

श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
'A'	राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	
	1. इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा	
	(अ) प्रथम स्थान आने पर	15
	(ब) द्वितीय स्थान आने पर	10
	(स) तृतीय स्थान आने पर	05
	2. टीम आइटम में	
	(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15
	(ब) सर्वउपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर	10
	(स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05
	3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	
	(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10
	(ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10
	नोट: 1) उपर्युक्त 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही मद/प्रतियोगिता का लाभ दिया जायेगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा। 2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
'B'	नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी	
	1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
	या	
	2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
	या	



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
	3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को या	15
	4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को या	10
	5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को या	05
	6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेञ्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को या	15
	7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेञ्जर्स निपुण अभ्यर्थी को या	10
	8. स्काउट एवं गाइड्स गुरुपद अथवा रोवर्स/रेञ्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05
	नोट: 1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा। 2) किसी भी आइटम के लिये प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत शैक्षणिक सत्रों में सेवा/सदस्यता से है।	
'C'	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण	15
'D'	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो।	15
'E'	ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हो या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये)	15



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
‘F’	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15

नोट:

- श्रेणी ‘C’ से ‘F’ तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिये गये हैं। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त ‘A’ से ‘F’ तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अधिकतम 25 अंकों का ही लाभ दिया जायेगा।
- खेलकूद / एन०सी०सी० / एन०एस०एस० / स्काउट-गाइड / रोवर्स-रेंजर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि से पूर्व में अर्जित किये गये हों।
- टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिशिष्ट-2

संयुक्त बी.एड. संयुक्त परीक्षा से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उनको आवंटित कोड

क्रम संख्या	विष्वविद्यालयों के नाम	कोड
1.	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।	01
2.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।	02
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	03
4.	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।	04
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	05
6.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।	06
7.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	07
8.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।	08
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।	09
10.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	10
11.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	11
12.	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	12
13.	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।	13
14.	सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।	14
15.	ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।	15



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिशिष्ट-3

**राज्य स्तरीय बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2017–19 के परीक्षा केन्द्रों के लिए प्रस्तावित शहरों
की सूची**

क्रम संख्या	शहर का नाम	कोड
1	बरेली	41
2	मुरादाबाद	42
3	आगरा	43
4	अलीगढ़	44
5	मेरठ	45
6	गाजियाबाद	46
7	सहारनपुर	47
8	झाँसी	48
9	जौनपुर	49
10	बलिया	50
11	इलाहाबाद	51
12	लखनऊ	52
13	कानपुर	53
14	वाराणसी	54
15	फैजाबाद	55
16	गोरखपुर	56
17	नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)	57
18	सिद्धार्थनगर।	58



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिशिष्ट —4

S.No.	Proposed List of Counseling Centers
1.	BAREILLY
2.	AGRA
3.	LUCKNOW
4.	FAIZABAD
5.	MEERUT
6.	JHANSI
7.	VARANASI
8.	JAUNPUR
9.	GORAKHPUR
10.	KANPUR
11.	ALLAHABAD



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप–1

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती
.एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है। उनके पति श्री/स्वर्गीय
.....की मृत्यु अभिलेखों के अनुसार दिनांक
को हुई है।

दिनांक : तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का नाम

- ब) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धित न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का संलग्न करना अनिवार्य है।
- (स) परित्यक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिए न्यायालय में दी गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती के
पिता/पति एक प्रतिरक्षा अधिकारी है जिनका रैंक तथा नम्बर है
जो कि सक्रिय सेवारत है
अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये
अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

श्री/कु./श्रीमती इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी
हैं।

दिनांक.....	आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेकेटी सोल्जर्स बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर अधिकारी का पूरा नाम
-------------	---



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-3

अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मणिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.....

पुत्र/पुत्री श्री निवासी गांव/शहर

... तहसील जिला प्रदेश

.....का जन्म जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति (संशोधन) एकट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/
सिटी मणिस्ट्रेट/परगना मणिस्ट्रेट/तहसीलदार



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—4

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील.....
 नगर जिला उत्तर प्रदेश
 राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या-22/16/92-का 02/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1955 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम नगर जिला
 में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
स्थान	मोहर जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

नोट : अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग लिये जाति प्रमाण पत्र 01 जनवरी, 2017 के पश्चात् निर्गत हुआ होना आवश्यक है क्योंकि क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—5

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. *

श्री **

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी के आश्रित ***

..... हैं।

दिनांक :

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

पदनाम मोहर के साथ

अधिकारी का पूरा नाम

नोट : इस प्रमाण—पत्र के साथ जिला अधिकारी प्रदत्त प्रमाण—पत्र एवं पेंशन बुक की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उपरोक्त के अभाव में यह प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

* यहाँ आश्रित का नाम लिखें

** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का नाम लिखा जाये।

*** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाये।

केवल जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-6

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती

पुत्र/पत्री/पत्नी श्री..... रैंक.....

.. नम्बर जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो

चुका है अथवा युद्ध के समय लापता हो गये है।

दिनांक:..... आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का पूरा नाम.....



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—7

(पुलिस/पी.ए.सी./होमगार्ड/बी.एस.एफ./आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी.एफ. विभाग का
प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. /श्रीमती
...के पिता/पति श्री एक
पुलिस/पी.ए.सी./होमगार्ड/बी.एस.एफ./आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी. विभाग में सेवारत कर्मचारी है
जिनका रैंक नम्बर है / सेवारत है / थे और अपंग हो
गये। उन्होंने सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

दिनांक:.....

पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर
पद की मोहर के साथ
अधिकारी का पूरा नाम



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—8

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती

आत्मज/आत्मजा ग्राम

तहसील..... नगर..... जिला राज्य

के/ की स्थाई निवासी है। अतः ये दूसरे प्रान्त के/की श्रेणी में आते/आती हैं।

दिनांक:.....

पद जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
पदनाम की मोहर.....



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र पत्र का प्रारूप—9

(यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता/पिता निवासी हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)

..... पिता/माता श्री/कु. (अभ्यर्थी का नाम) उत्तर प्रदेश

के गाँव/शहर तहसील जिला के मूल

निवासी है तथा श्री/कु./श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम) के

माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम

पद नाम

मोहर

(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं.-157/जीन-2003-77(II)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किये जायेंगे।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—10

(विकलांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

आत्मज/आत्मजा..... ग्राम तहसील.....

..... नगर..... जिला..... राज्य के निवासी हैं

और निम्नांकित विकलांग श्रेणी में आते हैं। परन्तु इस श्रेणी में आते हुए भी वे चर्म रोग, हकलाना, मूक बधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिनके छात्रों में संक्रमण या उनकी

कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उनकी विकलांगता

..... अंग से सम्बन्धित है तथा विकलांगता का स्वरूप प्रतिशत है।

विकलांगता की श्रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग
2. आंख से विकलांग

दिनांक:.....

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम
 एवं मुहर



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप—11

सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार की आख्या दिनांक के आधार पर एतद्
द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मकान नम्बर.....
ग्राम..... मोहल्ला तहसील
जनपद उत्तर प्रदेश का/की निवासी है व उनका वर्तमान पता
मकान नम्बर ग्राम मोहल्ला.....
तहसील जनपद उत्तर प्रदेश है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप—1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा
इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य
निवासी होने का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी

पूरा नाम

पद नाम

मुहर

(उपजिलाधिकारी की सील)



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



CONTACT US

Telephone Numbers	
B.Ed. 2017 -19 Information Cell	0522-2740200 0522-2740600
Fax Number	0522 - 2740467
E -mail ID	upbedlu2017@gmail.com
State Coordinator Contact / Postel Address	0522-2740600 JEE B.Ed. 2017-19 Department of Chemistry, University of Lucknow, Lucknow - 226007
Registrar / Nodal State Officer	0522- 2740412
Websites	http://upbed.nic.in http://lkouniv.ac.in